



पावर ग्रिड कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
सूचना का अधिकार अभिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005
केन्द्रीय कार्यालय, 'सादामिनी', प्लॉट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122007
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122007



PGCIL/R/2019/M-15
Dated : 12 June, 2019

Shri Ramawatar Monpuria,
Ramawatar Monpuria, S/o Bhagirath Lal, Mear Mohil takies, V.PO-Lawan, Tehsil-Lawan, Distt -
Dausa, Rajasthan-303004,

Sub: Information under Right to Information Act, 2005.

Sir/Madam,


This has reference to your RTI request dated 16 May, 2019 for providing information under RTI Act, 2005.

The desired information is attached at Annexure-A.

First Appeal, if any, against the reply of CPIO may be made to the first appellate Authority within 30 days of the receipt of the reply of CPIO. Details of Appellate Authority at Corporate Centre, Gurgaon, under RTI Act, 2005 is as below:

Shri Sanjeev Singh,
Executive Director (CMG) & Appellate Authority
Corporate Centre, Power Grid Corporation of India Limited
"Saudamini", Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon – 122007, Haryana.
Email ID: sanjeev@powergridindia.com
Phone No. 0124-2571962

Thanking you,

भवदीय,

(जसबीर सिंह) 12/06/19

वरिष्ठ महाप्रबंधक (के. आ.) एवं के.नो.सू.अधिकारी

Email ID: cpio.cc@powergrid.co.in


श्री रामवतार मोनपुरिया, दौसा, राजस्थान के RTI का जवाब

प्रश्न 1	<p>पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गुडगाँव में नियमित कर्मचारी , जिनकी कार्य के दौरान मृत्यु होने के पश्चात अनुकंपात्मक नियुक्ति के क्या नियम एवं आदेश हैं?</p> <p>समस्त आदेशों की प्रमाणित छाया प्रतिलिपि भेजकर अवगत करवाएँ।</p>
उत्तर	<p>पावरग्रिड में प्रत्येक कर्मचारी के आश्रितों में से एक को रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है जो ड्यूटी के दौरान हुए दुर्घटना के परिणामस्वरूप स्थायी रूप से अक्षम हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है (प्रति संलग्न)। उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार, कर्मचारी के पत्नी / पति / पुत्र / पुत्री / कानूनी रूप से दत्तक पुत्र / पुत्री ही केवल आश्रित की परिभाषा में आते हैं।</p>
प्रश्न 2	<p>पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गुडगाँव, हरियाणा में 01 जनवरी 1996 से 30 अप्रैल 2019 तक कितने कर्मचारी मृतक हुए हैं?</p> <p>प्रत्येक मृतक कर्मचारी का नाम, वह व्यक्ति किस पद पर कार्यरत था, एवं उनकी जगह अधिमानता के आधार पर प्रार्थना पत्र के पश्चात , परिवार के किस आश्रित व्यक्ति को विभागीय नियमानुसार किस-किस पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के अंतर्गत नियुक्ति प्रदान की गई है। प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पद विभाग , संबंध आदि का क्रम वाइज़ उल्लेख करते हुए पीछे संलग्न की गई। तालिका के अनुसार वर्तमान में कार्यरत व मृतक कर्मचारी से क्या Relationship है ?</p> <p>कृपया ब्लड के संबंध को बताते हुए जैसे: पुत्र, पत्नी, अविवाहित बेटी , भाई, पति तलाक सुदा बेटी, आदि को दर्शते हुए मांगी गई सूचना की प्रमाणित छाया प्रतिलिपि भेजकर अवगत करवाएँ ?</p>
उत्तर	<p>उपरोक्त के संबंध में यह सूचित किया जाता है की, 01 जनवरी 1996 से 30 अप्रैल 2019 तक 25 कर्मचारी की मृत्यु हुई, जिनमे से 01 कर्मचारी के दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रित को अनुकंपात्मक नियुक्ति मिली है। उपलब्ध जानकारी पर आधारित विवरण, आवेदनकर्ता द्वारा दिये गए प्रारूप में संलग्न है (अनुलग्नक-1)।</p>

रविशंकर शर्मा

अनुलग्नक-1					
क्र. सं.	मृतक कर्मचारी का नाम व पद	वर्तमान में कार्यरत कर्मचारी का नाम	पद	पदस्थापना ऑफिस का पता	मृतक कर्मचारी एवं कार्यरत कर्मचारी का क्या रिश्ता/संबंध
1	विजय प्रसाद शर्मा, इंडिवर	मुशीला शर्मा	परिचारक (Attendant)	केन्द्रीय कार्यालय, सौदाभिनी, प्लॉट संख्या 2, सेक्टर 29, इफको चौक के पास, गुडगांव (हरियाणा) - 122001	पत्नी

रश्मि शर्मा



MEMORANDUM OF AGREEMENT



POWER GRID NATIONAL BIPARTITE COMMITTEE

NEW DELHI
21st AUGUST, 1995


पावर ग्रीड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्योग)

हेमकुट चौबर्सा, दसवीं मंजिल, 89, नेहरू रोड नई दिल्ली - 110 019

दूरभाष : 6428808, तार : 'पेटग्रीड', टेलीक्स : 66138, 65949

फैक्स : 011-6466823, 6428357



DVC
DVC

(d) The above assistance at (b) and (c), however, will not be applicable in cases where LTC is availed on certification basis or to Home Town.

0.5.4 Employment to one dependent of each workman who is permanently disabled or dies as a result of accident while on duty, will continue to be provided as at present. Dependent for this purpose will mean spouse of the employee, his/her son or daughter or legally adopted son/daughter.